वनसरक्षंण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग–1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

1. **परियोजना विवरण :–**

i. **अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण ।**

लोक निर्माण विभाग संभाग रामानुजगंज द्वारा ग्राम बलंगी–झापर से उत्तर प्रदेश राज्य सीमा तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य किया जाना प्रस्तावित है उक्त मार्ग वर्तमान में कच्चा मार्ग है जिसका उपयोग ग्रामीणो द्वारा किया जाता है मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य किया जाना अतिआवश्यक है झापर से उत्तर प्रदेश सीमा तक मार्ग निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति 29/03/2016 को प्रदान किया गया था, बलंगी–झापर से उत्तर प्रदेश सीमा तक मार्ग की कुल लम्बाई 2.975 कि.मी. है, तथा बी.टी. मार्ग की चौड़ाई 9.50 मीटर है तथा मार्ग पर डामरीकरण का कार्य सिर्फ 7 मीटर चौड़ाई पर प्रस्तावित है। ग्राम बलंगी–झापर से उत्तर प्रदेश राज्य सीमा तक मार्ग निर्माण में 0.50 हे. राजस्व वन भूमि व 2.128 हे. सरंक्षित वन भूमि कुल 2.628 हे. वन भूमि प्रभावित हो रही है। प्रभावित भूमि का खसरा वार विवरण :–

क्र.	जिला/ वनमण्डल	तहसील/ वन परिक्षेत्र	ग्राम	खसरा/ कक्ष क्रमांक	आवेदित रकबा (हे.)	भूमि का प्रकार
1	बलरामपुर	वाड्रफनगर	झापर	47	0.040	छोटे झाड़ का जगंल
2				119	0.060	
3				120	0.067	
4				47	0.237	
5				46	0.021	
6				47	0.075	
7				P-598	1.876	सरंक्षित वन
8				P-597	0.252	
	योग :–				2.628	

ii. **1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप ।**

प्रस्तावित वन भूमि का डी.जी.पी.एस. सर्वे द्वारा प्राप्त कार्डिनेट के अनुसार मार्ग को टोपोशिट क्रमांक 64-I/13 पर अंकित कर उसकी सत्यापित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

v. **लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने के लिए)**
लागत लाभ विश्लेषण की आवश्यकता नही है ।

vi. **रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है ।**
बलंगी–झापर से उत्तर प्रदेश राज्य सीमा तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य में लगभग 10 कुशल एवं 50 अकुशल मानव दिवस प्रतिदिन दो वर्ष में उत्पन्न होने की संभावना है ।

2. **कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण**
बलंगी–झापर से उत्तर प्रदेश राज्य सीमा तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हो जाने उपरान्त आस पास के सभी ग्रामीणों को सरल एवं सुगन आवागमन मिल सकेगा। उपरोक्त वन भूमि व्यपवर्तन केवल मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु किया जाएगा।

3. **परियोजना के कारण लोगो को हटाने का विवरण, यदि कोई है ।**
बलंगी–झापर से उत्तर प्रदेश राज्य सीमा तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य में प्रभावित भूमि पर किसी प्रकार का आबादी क्षेत्र नही है मार्ग निर्माण में किसी प्रकार का विस्थापन नही किया जाएगा।

i. **परिवारों की संख्या**
निरंक

ii. **अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की सख्या**
निरंक

iii. **पुर्नवास योजना (संलग्न किए जाने के लिए) ।**
आवश्यकता नही है ।

4. **क्या पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है (हां/नही)**
आवश्यक नही

5. **प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाए) ।**
बलरामपुर जिला एल.डब्लू.ई. क्षेत्र अन्तर्गत है जिस कारण प्रतिपूरक वनीकरण की आवश्यकता नही है।

6. **निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा ।**
उपरोक्तानुसार

तिथि : 04/04/18
स्थान : रामानुजगंज

हस्ताक्षर

(एन.के.सिंह ठाकुर)
कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. संभाग रामानुजगंज